# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
# प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

*Ph. No. 05966-220679*
*Fax No. 05966-220679*
*E-mail – eepdrani@yahoo.com*


पत्रांक 1648 /36सी. दिनांक रानीखेत जुलाई 18 ,2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

**विषय :–** **मंगरौलखाल–तनसालीसैण–कालिकाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (15.550 किमी.)(प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/16180)**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2016 को प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

| क्र. सं. | आपत्ति | निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Please give break up of road construction and muck disposal in B-2.4 component wise breakup | component wise breakup of road construction is submitted. muck disposal shall be done in nap land Seperately. |
| 2. | Please upload FRA in serial no k | FRA uploaded in serial no k |
| 3. | Serial no. A-1-iii dose not contain brief narrative all the above corrections are to be done in Form A Part I by the user agency it self. | All corrections done in Form A Part I. |

18/7/16

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में मंगरौखाल-तनसाली सैंण-कालिका खाल मोटर मार्ग।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- मंगरौखाल

तहसील :- स्याल्दे जिला अल्मोड़ा।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत मंगरौखाल-तनसाली सैंण-कालिका खाल मोटर मार्ग के निर्माण (15.550 किमी0) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि ... 4.050 है0, सिविल सोयम भूमि 4.230 है0 तथा वन पंचायत भूमि —— है0 अर्थात कुल वन भूमि 8.280 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मंगरौखाल, मठखानी, गाजर द्वारा दिनांक 20-10-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मंगरौखाल, गाजर, मठखानी के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि प्रा0 खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एंव सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत मठखानी
वि0ख0 स्याल्दे, (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम सचिव
क्षेत्र ...... स्याल्दे
विकास खण्ड स्याल्दे (अल्मोड़ा)

प्रधान
ग्राम पंचायत मंगरौखाल
पो0 ओ0 - रूढ़ोली
वि0 ख0 - स्याल्दे
जिला - अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत गाजर
पो0 ओ0 कुलान्तेश्वर
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में मंगरौखाल-तनसाली सैंण-कालिका खाल मोटर मार्ग।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, सल्ट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति ............

उपखण्ड सल्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत ( आरक्षित वन भूमि 4.050 है0, सिविल सोयम भूमि 4.23 है0 तथा वन पंचायत भूमि 25.4 है0 अर्थात कुल वन भूमि 8.280 है0) निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी/ वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील सल्ट की दिनांक 20-10-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन प्रवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में श्री नारायण सिंह नबियाल उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोज़ित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री नारायण सिंह नबियाल उपजिलाधिकारी ~~रानीखेत~~। सल्ट — अध्यक्ष।
2. श्री वी० के० सिंह — उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत। — सदस्य।
3. श्री ललित जोशी — सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्याल्दे — सदस्य/सचिव।
4. श्री/श्रीमती देवकी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र 21 — इकूराली देवकी देवी सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदयों का बैठक में स्वागत करते हुवे उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत मंगरौखाल-तनसाली सैंण-कालिका खाल मोटर मार्ग का (15.550 किमी0) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुवे जानकारी से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत मंगरौखाल-तनसाली सैंण-कालिका खाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.280 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील ............ जिला अल्मोड़ा।

उप जिला अधिकारी
सल्ट
जिला-अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील ............ जिला अल्मोड़ा।

उप जिला अधिकारी
सल्ट
जिला-अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

प्रपत्र–23.1

दिनांक 20-10-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मंगरूखाल

वार्ड मेम्बर हैं

| क्रम सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| चन्द्रसिंह | | 1. गोपालदत्त Gopal |
| कुन्दनसिंह | | 2. मनदेव – मनदेव |
| [illegible] Dutt | | 3. किशनीदेवी – |
| किशनराम | | 4. शालूदेवी – शालूदेवी |
| गोपालराम | | |
| दिनेशराम | | |
| Shyam | | |
| जगतसिंह | | |
| गिरीशसिंह | [illegible] | उमरावसिंह |
| | | Rajesh |
| | | भगवतसिंह |
| | | रमेशसिंह |
| | | सुनितादेवी |
| | | प्रेमादेवी |
| | | पानसिंह |

ग्राम प्रधान
मनवरसिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत मठखानी
वि0ख0 स्याल्दे, (अल्मोड़ा)

प्रधान
ग्राम पंचायत मंगरूखाल
पो0 ओ0 – रूडाली
वि0 ख0 – स्याल्दे
जिला – अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

Vinod
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
पो0 ओ0 [illegible]
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

Anand- Ameen-Van Adhikar Act 2006

प्रपत्र—23.4

परियोजना का नाम :—

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

मोटरमार्ग जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित मंतारीखाल - तल्लासालीसैंण आदिकालखाल - परियोजना के निर्माण हेतु 8.28 हे0 वन भूमि लो.नि.वि. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11—9/98—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date....15-1-2016............at time......3:45 PM.........at Almora. in which application claiming rights of ................................. area measuring ..8.28.. hect. for the Construction of Motor Road Mangrokhal - Tahsalisain - Kalikakhal..... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

It is further certified that

| S.N. | | Remarks |
|---|---|---|
| (a) | The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 3.28 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers. |
| (b) | The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |

Encl:As above

Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

**FORM-1**
**Government of Uttarakhand**
**Office of the District Collector : Almora**

**No :.......................................**

**Dated:..............**

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that....8.28.........hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction...of Motor Road from Mongrokhal - Tansolisain - Kolikokhal
...........................................................................................................

(Purpose for diversion of forest land) in...Almora...district falls within jurisdiction of...Mongrokhal...village(s) in....Salt........Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire............Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c). The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

**Encl:As above**

D.M.

जिलाधिकारी
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)
अल्मोड़ा